

# डेटा संरक्षण

## प्रयोज्यता

यह डेटा संरक्षण नीति ("नीति") GXO Logistics, Inc. के साथ-साथ उसकी सभी सहायक कंपनियों, प्रभागों और अन्य परिचालन संस्थाओं (सामूहिक रूप से "GXO" या "कंपनी") पर लागू होती है। GXO के सभी निदेशक, अधिकारी और कर्मचारी, और हमारी ओर से कार्यरत तृतीय पक्ष इस नीति की आवश्यकताओं का पालन करने के अधीन और ज़िम्मेदार हैं। जैसा कि इस नीति में प्रयोग किया गया है, "कंपनी" शब्द पढ़ते समय इस नीति के अधीन सभी व्यक्तियों और संस्थाओं को शामिल किया जाना चाहिए।

## 1. अवलोकन

GXO अपने संचालन के तहत गोपनीय जानकारी, बौद्धिक संपदा और निजी डेटा एकत्र कर उसे बनाए रखती है। यह डेटा कर्मचारियों, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य तृतीय पक्षों से एकत्र किया जाता है। डेटा का उचित प्रबंधन उन लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जिनके साथ हम व्यवसाय करते हैं। कंपनी अपने व्यवसाय के सभी स्थानों पर डेटा गोपनीयता और डेटा संरक्षण से जुड़े सभी प्रयोज्य कानूनों का पालन करने को प्रतिबद्ध है।

यदि प्रयोज्य कानून इस नीति से भिन्न हो या अधिक सख्त आवश्यकताएँ रखता हो, तो प्रयोज्य कानून लागू होगा। यह नीति, लागू होने वाले कानूनों के अंतर्गत मौजूद अधिकारों के अतिरिक्त कोई अन्य अधिकार या दायित्व निर्माण के लिए लक्षित नहीं है।

## 2. परिभाषाएँ

**2.1. कंपनी:** GXO Logistics जिसमें उसके सभी व्यावसायिक रूप, GXO के कर्मचारी, और "प्रयोजनीयता" के अंतर्गत परिभाषित सभी अन्य पक्ष शामिल हैं।

**2.2. गोपनीय जानकारी:** किसी भी रूप में मौजूद ऐसी जानकारी जो प्रकाशित नहीं है या सामान्य लोगों को उपलब्ध नहीं है। गोपनीय जानकारी में व्यावसायिक योजनाएँ, ग्राहक सूचियाँ, मूल्य संबंधी डेटा, प्रक्रिया संबंधी जानकारी या कंपनी की विशेषज्ञता शामिल हो सकते हैं।

**2.3. डेटा विषय:** वे सभी व्यक्ति जिनसे निजी डेटा या अन्य डेटा एकत्रित किया जाता है।

**2.4. बौद्धिक संपदा:** अप्रत्यक्ष संपत्ति जो मानवीय ज्ञान का उत्पाद है। बौद्धिक संपदा भौतिक (जैसे कि, कॉपीराइट योग्य कार्य, सुरक्षा योग्य ट्रेडमार्क या पेटेंट योग्य आविष्कार) या काल्पनिक (जैसे, व्यापार रहस्य या विचार) हो सकती है।

**2.5. निजी डेटा:** किसी भी रूप में मौजूद ऐसी जानकारी जिसका उपयोग अकेले या किसी अन्य जानकारी के साथ जोड़कर किसी व्यक्ति को पहचानने में किया जा सके। न्याय क्षेत्र के आधार पर, निजी डेटा में नाम, सामाजिक सुरक्षा या सरकार द्वारा जारी पहचान क्रमांक, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट क्रमांक, पते, फ़ोन नंबर, ई-मेल पते, वित्तीय खाता जानकारी, पासवर्ड या पिन, अद्वितीय बायोमेट्रिक या स्वास्थ्य डेटा, या किसी व्यक्ति को वित्तीय खाते तक पहुँच देने वाले सुरक्षा प्रश्नों के उत्तर शामिल हो सकते हैं।

## 3. आचरण के मानक: निजी डेटा

**3.1. संकलन:** निजी डेटा का संकलन उस डेटा तक सीमित होना चाहिए जो कंपनी का काम करने के लिए आवश्यक है और जिसे विधिसम्मत, कानूनी तरीके से एकत्रित किया जाता है। कंपनी को डेटा के विषयों को उस कार्य के संबंध में उचित नोटिस देना चाहिए जिसके लिए निजी डेटा संकलित किया जा रहा है।

**3.2. उपयोग:** यदि कानून द्वारा अन्यथा अधिकृत न किया गया हो या डेटा के विषय ने इसकी सहमति न दी हो, तो कंपनी को निजी डेटा के उपयोग को केवल उसी प्रयोजन तक सीमित रखना चाहिए जिसके लिए उसे एकत्रित किया गया है।

**3.3. गुणवत्ता और प्रतिधारण:** कंपनी को यह सुनिश्चित करने के लिए यथोचित उपाय करने चाहिए कि कंपनी द्वारा संकलित और भंडारित सभी निजी डेटा सही और अद्यतन हो। जब निजी डेटा की विधिसम्मत प्रयोजनों के लिए आवश्यकता समाप्त हो जाए या कानून द्वारा उसे रखना आवश्यक न हो, तो निजी डेटा को संग्रहित किया जाए, हटा दिया जाए, या नष्ट कर दिया जाए।

**3.4. सुरक्षा:** कंपनी के पास मौजूद सभी निजी डेटा को अनुचित प्रकटीकरण, अनधिकृत पहुँच या उपयोग, विनाश, या क्षति से बचाने के लिए कंपनी को यथोचित तकनीकी और संगठनात्मक नियंत्रणों का उपयोग करना चाहिए।

**3.5. प्रकटीकरण:** कंपनी को निजी डेटा को किसी अन्य व्यक्ति या निकाय को तब तक प्रकट या साझा नहीं करना चाहिए जब तक कि ऐसा करना कानून द्वारा अधिकृत न हो या डेटा के विषय ने इसकी सहमति न दी हो।

**3.6. डेटा विषय के अधिकार:** कंपनी को डेटा के विषय को उसके बारे में कंपनी के पास मौजूद निजी डेटा तक पहुँचने, उसमें सुधार करने और उसे हटाने के उपयुक्त अधिकार देने चाहिए।

**3.7. डेटा उल्लंघन की रिपोर्टिंग:** कंपनी को डेटा उल्लंघन की जानकारी तय समयसीमा के भीतर शामिल पक्षों को देना चाहिए, जैसा कि लागू होने वाले कानूनों द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो।

### 4. आचरण के मानक: गोपनीय सूचना और बौद्धिक संपदा

**4.1. प्रकटीकरण:** कंपनी को गोपनीय जानकारी या बौद्धिक संपदा को कंपनी के अंदर या बाहर “जानने की आवश्यकता” के आधार पर और व्यावसायिक प्रचालकों के लिए आवश्यक होने पर ही प्रकट करना चाहिए। ऐसी जानकारी को कंपनी से बाहर केवल तभी साझा किया जा सकता है जब उचित सुरक्षा उपाय, जैसे गैर-प्रकटन अनुबंध, मौजूद हों।

**4.2. सुरक्षा:** कंपनी सभी गोपनीय जानकारी और बौद्धिक संपदा के अनुचित प्रकटीकरण, अनधिकृत पहुँच या उपयोग, नाश या हानि से सुरक्षा के लिए उचित तकनीकी और संगठन उपायों का उपयोग करेगी।

**4.3. अवधारण:** जिस गोपनीय जानकारी की विधिसम्मत प्रयोजनों के लिए आवश्यकता समाप्त हो जाती है, उसे कंपनी संग्रहीत कर देती है, हटा देती है, या नष्ट कर देती है जो लागू होने वाले डेटा प्रतिधारण कानूनों का विषय है।

**4.4. निरंतर बाध्यता:** इस नीति के विषय के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों की यह निरंतर बाध्यता है कि कंपनी छोड़ने के बाद वे कंपनी की गोपनीय जानकारी और बौद्धिक संपदा को प्रकट नहीं करेंगे।

### 5. रिपोर्टिंग

इस नीति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों को डेटा के वास्तविक या संदिग्ध उल्लंघन, और/या किसी भी कदाचार या इस नीति और/या प्रयोज्य डेटा गोपनीयता कानूनों के संभावित उल्लंघन की रिपोर्ट तुरंत करनी चाहिए। GXO ऐसे किसी

भी व्यक्ति के लिए प्रतिशोध की अनुमति नहीं देता जो सद्भावना से कंपनी नीति या लागू होने वाले कानूनों के संबंध में किसी चिंता, दुराचार, और/या संभावित उल्लंघन की रिपोर्ट करता है।

रिपोर्टें [ethics@gxo.com](mailto:ethics@gxo.com) पर नैतिकता और अनुपालन कार्यालय में सीधे जमा की जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त, आप <https://ethics.gxo.com> पर हमारी नैतिकता वेबसाइट देख सकते हैं जहां आपको रिपोर्टिंग के अन्य विकल्प मिलेंगे। यदि लागू होने वाले कानून द्वारा अन्यथा प्रतिबंधित न किया गया हो, तो आप अपनी चिंताएँ अनाम रूप से रिपोर्ट कर सकते हैं।

इस नीति के संबंध में अतिरिक्त जानकारी और दिशानिर्देश [ethics@gxo.com](mailto:ethics@gxo.com) पर नैतिकता और अनुपालन कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। यहाँ और GXO की अन्य नीतियों में उल्लिखित कंपनी की गोपनीय या मालिकाना जानकारी की रक्षा करने और उसे प्रकट नहीं करने के दायित्व को ध्यान में रखे बिना, किसी व्यक्ति द्वारा सरकारी अधिकारियों को या अटॉर्नी को गोपनीय व्यापार रहस्य प्रकट करने के लिए व्यापार रहस्य कानूनों के तहत आपराधिक या दीवानी रूप से उत्तरदाई नहीं ठहराया जाएगा यदि उस जानकारी का प्रकटीकरण कानून के किसी संदिग्ध उल्लंघन की छानबीन की रिपोर्टिंग करने या भाग लेने के उद्देश्य से किया गया हो। इसके अलावा, यदि कोई कर्मचारी अपने नियोक्ता के विरुद्ध यह आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर करता है कि नियोक्ता ने उस कर्मचारी द्वारा कानून के संदिग्ध उल्लंघन की रिपोर्ट करने पर प्रतिशोध की कार्रवाई की, तो वह कर्मचारी अपने अटॉर्नी को और मुकदमे में व्यापार रहस्य प्रकट कर

सकता है जब तक कि उस व्यापार रहस्य की जानकारी को शपथ के तहत दायर किया गया हो।

### 6. नीति अपवाद

इस नीति से संबंधित कोई भी अपवाद या विचलन कंपनी के मुख्य अनुपालन अधिकारी द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित होना आवश्यक है।

### 7. अनुपालन में विफलता

इस नीति का अनुपालन न होने पर कंपनी और शामिल व्यक्तियों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं जिसमें दीवानी या आपराधिक अभियोग, अर्थदंड और संभावित कारावास शामिल हैं। इस नीति का उल्लंघन करने पर गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है, जिसमें नौकरी से बर्खास्तगी शामिल है।